BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1350/ 2024

IN THE MATTER OF:

NARESH KUMAR

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND
THROUGH PRINCIPAL SECRETARY ENVIRONMENT
AND FOREST AND ORS.

...RESPONDENT(S)

INDEX

NDOH: 02.04.2025
LDOH: 29.01.2025

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Response Affidavit on behalf of Respondent No. 7	**1-20**

*** All concerned parties have been served through email of their counsel.**

FILED BY

ADVOCATE ABHAY PRATAP SINGH

ADVOCATE FOR RESPONDENT NO. 7

B-40, GROUND FLOOR, SOAMI NAGAR,

PANCHSHEEL ENCLAVE, NEW DELHI - 110017

TEL: +91 11 41680854, 8527334575

EMAIL: ABHAY@GNSLEGAL.IN, OFFICE@GNSLEGAL.IN

DATE: 29.03.2025

PLACE: NEW DELHI

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1350/ 2024

IN THE MATTER OF:

NARESH KUMAR

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND
THROUGH PRINCIPAL SECRETARY ENVIRONMENT
AND FOREST AND ORS.

...RESPONDENT(S)

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 7

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Mahavir Prasad, Authorised Representative of Chirayu Estate and Development Private Limited having its registered office at 9th Floor, 97-98, Atlanta Building, Nariman Point, Mumbai – 400021, presently at Delhi, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. At the outset it is clarified that Respondent No. 6 – Sahara India Limited is not the owner of the land in question and it is only Respondent No. 7 which owns the lands in question. Respondent No. 6 has nothing to do the present dispute. The same has also been stated stated by Respondent No. 4/ SDM in his report dated 16.01.2025.

NOTARY PUBLIC K. BANDANA Delhi Regn. No. 10718 Date of Expiry 26.02.20[illegible] Govt. of India

2. The brief facts of the case before this Hon'ble Tribunal are that the letter petition dated 19.10.2024 was submitted to this Hon'ble Tribunal alleging unauthorized felling of trees on agricultural land belonging to the answering Respondent. The Applicant had alleged the illegal cutting of 200 trees on the land belonging the answering Respondent. After considering the facts stated in the Application, this Hon'ble Tribunal issued notice to all Respondents vide its order dated 17.12.2024 including the answering Respondent herein.
3. The Hon'ble Tribunal after taking cognizance of the letter petition dated 19.10.2024 filed by Applicant, registered the aforementioned petition as an Original Application under the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010.
4. It is submitted and clarified that the land located at Khasra Nos. 286, 319/2, 320, and 321 situated at Mauja Bahadarabad, Tehsil, and District Haridwar, belonging only to the answering Respondent. The said land had the following trees:-

Khasra	**No. of Trees**
286	18
319/2	30
320	5
321	30

NOTARY PUBLIC K. BANDANA Delhi Regn. No. 19718 Date of Expiry 26.02.20.. Govt. of India

The official Khasara Report showing the number of trees is annexed herewith as **Annexure R-1.**

5. It is clarified the felling of trees pertains to two period – one in the year 2022 and one in the year 2024. Sometime in April, 2022, the answering Respondent had instructed its contractor to cut 2-3 mango trees as the same had become old and diseased. However, for reasons best known to the contractor, he fell and cut around 83 trees which were in the Khasras mentioned above. It is submitted that the answering Respondent was not present at the time of the felling of trees. The answering Respondent, being the owner of the land admitted to the mistake committed by the contractor and wrote to the Chief Horticulture Officer, informing them about the incident and agreed to pay the penalty/ fine. Copy of the communication address by the answering Respondent to the Chief Horticulture Officer is annexed herewith as **Annexure R-2**.

6. This was due to inadvertent error and oversight and the answering Respondent immediately paid the penalty/ compounding fee on the same. It is submitted that vide order dated 06.05.2022, the answering Respondent was penalised Rs. **4,15,000/-** (Rupees Four Lacs and Fifteen Thousand Only) {Rs 5000/- per trees X 83 Trees}. The said amount was paid without any demur or protest by the answering Respondent but without any prejudice to the right of the answering Respondent. Copy of the order dated 06.05.2022 passed by the Chief Horticulture Officer is annexed herewith as **Annexure R-3.** Copy of the

NOTARY PUBLIC
K. BANDANA
Delhi
Regn. No. 19718
Date of Expiry
26.02.2030
Govt. of India

receipt dated 06.05.2022, evidencing payment of fine/ penalty by the answering Respondent is annexed herewith as **Annexure R-4**.

7. Sometime in 2024, 22 trees on Khasra 330 had become old and diseased and therefore, the Authorised Representative of the answering Respondent – Mahavir Prasad made an application dated 03.12.2024 to the Chief Horticulture Officer seeking permission to fell the trees. The said permission was duly granted to the answering Respondent vide letter dated 16.12.2024. Copy of the application dated 03.12.2024 submitted by the answering Respondent to the Chief Horticulture Officer is annexed herewith as **Annexure R-5.** Copy of the permission letter dated 16.12.2024 issued by the Chief Horticulture Officer is annexed herewith as **Annexure R-6.**

8. All the above facts can also be verified from the Joint Report submitted by Respondent No. 4/ SDM.

9. That the answering Respondent is a law-abiding company and has the highest regard for the orders of this Hon'ble Tribunal. In view of the above submission, the present case may be disposed off.

10. In view of the present response affidavit and the contents thereof, the answering Respondent states that the facts stated herein are true and correct and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY PUBLIC K. BANDANA Delhi Regn. No. 19718 Date of Expiry 26.02.2030 Govt. of India

Mahavir

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at New Delhi on this 28 MAR 2025 __ day of March, 2025 that the contents of my above affidavit are true and correct to my knowledge, no part of it is false and nothing has been concealed therefrom.

DEPONENT

IDENTIFIED

NOTARY PUBLIC K. BANDANA Delhi Regn. No. 19718 Date of Expiry 26.02.2030 Govt. of India

19

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

ANNEXURE R-1

उद्धरण खसरा

नकल खसरा ग्राम बहादराबाद परगना ज्वालापुर तहसील हरिद्वार जिला हरिद्वार सन् १४२८ फ० सन फसली सम्बन्धी

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर या बंदोबस्ती बीघों में	खतौनी की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम (यदि कोई हो)	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल — खरीफ — फसल का नाम	खरीफ — सिंचित	खरीफ — असिंचित	रबी — फसल का नाम	रबी — सिंचित	रबी — असिंचित	जायद — फसल का नाम	जायद — सिंचित	जायद — असिंचित	दो फसली क्षेत्रफल — सिंचित	दो फसली क्षेत्रफल — असिंचित	अकृषिक भूमि — भूमि की श्रेणी	अकृषिक भूमि — क्षेत्रफल	खेत के पूरे बढ़े हुए पेड़ों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
२८६	१.४३६	६6 / १.४६2	चिरागुद्दीन आदि [illegible]	—															आम / १८	
३१९ / 2	०.६20	६6	चिरागुद्दीन आदि [illegible] 2८६	—																
३२०	०.२३६	६6	चिरागुद्दीन आदि [illegible] 2८६	—															आम / 30	
३२१	१.६४१	६८	चिरागुद्दीन आदि [illegible] 2८६	—															आम / ५	
३१६	2.११0 / १.४२४	६6	चिरागुद्दीन [illegible] 2८६	—															आम / 30 शा. न. 316 ; शा. न. ३१६.५	
३१८	—	—	—																	
३२८	०.१६४	१66	रामचन्द्र	—																

प्राप्ति स्थान : सरस्वती स्टेशनी एण्ड काड्स, ज्वालापुर, हरिद्वार

नकल मुताबिक असल किया ... प्राप्त किया

02-5-2022

TRUE COPY

ANNEXURE R-2

सेवा में,

प्रभारी उद्यान सचल दल

केन्द्र बहादराबाद

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि **चिरायुइस्टेट एण्ड डेवलेपमेंट प्रा0लि0/सायरस इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा0लि0/दीपिशा रीयलिटी एण्ड लीजिंग प्रा0लि0/धनन्जय इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा0लि0/देवदत्त इस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्रा0लि0/ धर्मवीर डेवलपमेन्ट एण्ड रीयलिटी प्रा0लि0/ दत्तात्रेया इस्टेट एण्ड रीयलिटी प्रा0लि0/सहारा इण्डिया/ए0एस0 बिष्ट** जमीन पर आम बाग स्थित बहादराबाद से ठेकेदार को रोग ग्रस्त एवं सूखे दो से तीन पेड़ो को हटाने के लिए कहा गया था परन्तु ठेकेदार के द्वारा मेरी अनुपस्थिति में आम के वृक्षों का भी पातन कर दिया गया है जिसकी हमें जानकारी नही थी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त पातान किये गये पेड़ो का <u>अर्थदण्ड/जुर्माना</u> जमा करा कर उक्त प्रकरण यहीं समाप्त करने की कृपा करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुर्नवृत्ती नही की जाएगी।

उक्त प्रकरण के सापेक्ष अवैध आम वृक्ष पातन का प्रति वृक्ष अर्थदण्ड रु. 5000=00 की दर से कुल 83 आम वृक्षो का कुल अर्थदण्ड रु 83×5000=415000=00 (चार लाख पन्द्रह हजार रुपये मात्र) जमा कराने की संस्तुति की जाती है।

[signature]

प्रभारी
उ0स0द0केन्द्र
बहादराबाद

M/s Cyrus Estate & Reality Pvt. Ltd.

निवेदक

ए0एस0 बिष्ट

A.S. Bisht

निवासी—एफ.102
लक्षमीपार्क नांगलोई
दिल्ली—110041

Mob. no. 9837100 43
9412998687

TRUE COPY

ANNEXURE R-3

अर्थ दण्ड आदेश

श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार द्वारा बिना विभाग की अनुमति के अपने बाग से 83 जीवित आम वृक्षों का पातन किये जाने पर की गई विभागीय कार्यवाही में दोषी पाये गये, उक्त जीवित वृक्षों को सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के अभाव में पातन किया गया है, जो कि भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) संरक्षण अधिनियम की धारा 42 की उपधार (1) का स्पष्ठ उल्लंघन है।

अतः अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर मै मुख्य उद्यान अधिकारी,हरिद्वार शासनादेश संख्या 927/IX-3-2012 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद के विरूद्ध 83 जीवित वृक्षों के पातन पर रू0, 5000.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल धनराशि रू0, 415000.00 (चार लाख पन्द्रह हजार) का अर्थ दण्ड निर्धारित करते हुये उन्हे निर्देशित करता हूँ कि वे तत्काल रू0 415000.00 (चार लाख पन्द्रह हजार) मात्र रोकडिया कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी कमरा न0–78 विकास भवन, रोशनाबाद में जमा करना सुनिश्चित करें।

(नरेन्द्र कुमार यादव)
मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार

कार्यालय मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार

पत्रांक 267/अवैध पातन/2022–23 दिनांक हरिद्वार 06-05-2022

प्रतिलिपिः–1– श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपलनार्थ।

2– रोकडिया मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि रू0 415000.00(चार लाख पन्द्रह हजार) मात्र श्री ए0 एस0 बिष्ट निवासी एफ–102 लक्ष्मीपार्क नागलोई दिल्ली मौजा स्थित बहादरावाद जिला हरिद्वार से प्राप्त कर विभागीय कैश रसीद उपलब्ध कराते हुये धनराशि विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करना सुनिश्चित करें

3– प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बहादरावाद

4– थाना प्रभारी बहादराबाद हरिद्वार

मुख्य उद्यान अधिकारी,
हरिद्वार

TRUE COPY

ANNEXURE R-4

डी0ए0डी0–2

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड

कैश रसीद बुक

पुस्तक संख्या .... रसीद संख्या 074718 दिनांक 06/05/2022

श्री/मै0 ए०एस०किंग निवासी F-102, लक्ष्मीपार्क, नांगलोई दिल्ली से रु0 415000=00

(शब्दों में) मौजा स्थित बहादराबाद हरिद्वार में प्राप्त हुई।

क्र0 सं0	बेची गयी वस्तुओं/किये गये काम का वर्णन	परिमाण	मूल्य दर	धनराशि रु0	धनराशि पै0	प्रपंजी (Ledger) पृष्ठ
01	श्री ए०एस०किंग द्वारा फलदार पेड़ो के अवैध पातन के कारण लगाये गये अर्थदण्ड की धनराशि जमा (CHO के आदेश सं० 267 दिनांक 06.05.2022 के क्रम में)		₹	415000=00		
	योग रु0 (चार लाख पन्द्रह हजार मात्र)		₹	415000=00		

प्रतिहस्ताक्षरित
06/05/2022
मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार
प्रभारी/कार्यालयाध्यक्ष

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 1 उद्यान/104–5–7–2011–5,000 बुक्स (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

TRUE COPY

ANNEXURE R-5

सेवा मे,

श्री मान मुख्य जिला उद्यान अधिकारी महोदय,हरिद्वार।
जिला- हरिद्वार।

श्री मान जी,

निवेदन यह है कि खाता खतौनी नम्बर- 67,के खसरा नम्बर 330 रकबई- 0.512है0 स्थित मौजा- बहादराबाद, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार को मुखत्यारआम नियुक्त किया हुआ है जिसकी पावर आफ आटर्नी की फोटो कापी साथ मे सलग्न है इसलिए प्रार्थी को उक्त सम्पत्ति की बावत अधिकार प्राप्त चले आते है। श्री मान जी उक्त सम्पत्ति मे 22 पेड आम के खडे हुए है जो कि बहुत अधिक पुराने है और अधिक पुराने होने के कारण ना तो फसल देते हैं और बीमार भी होने लगे है इसलिए हम उक्त सम्पत्ति से पूर्णतया लाभ प्राप्त नही कर पा रहे है जिस कारण से प्रार्थी उपरोक्त 22 पेड आम के कटवाकर उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगानाचाहता है जिसके लिए माननीय महोदय की अनुमति की आवश्यकता है जो कि प्रदान की जानी आवश्यक है।

पत्रावली
मु0उ0अ0
9/10/24

अतः श्री मान जी से प्रार्थना हैकि उपरोक्त तथ्यो को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी को उपरोक्त 22 पेड आम के कटवाने व उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करे, आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक- 09/10/2024

प्रार्थी

Mahaveer

महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम
निवासी- गौरीवाला सिरसा हरियाणा।

IN-UK50046795598059W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK50046795598059W
Certificate Issued Date	:	09-Oct-2024 10:19 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1304904/ ROSHNABAD/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK130490407111880838636W
Purchased by	:	MAHAVEER PRASHAD
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	MAHAVEER PRASHAD
Second Party	:	SHAKSHAM ADHIKARI
Stamp Duty Paid By	:	MAHAVEER PRASHAD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

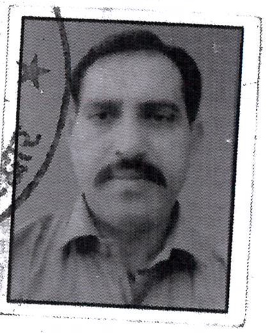

अनिल कुमार, ला. न. 252/18
स्टाम्प विक्रेता रोशनाबाद, हरिद्वार।

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

§शपथपत्र§
==========

समक्षः- श्री मान मुख्य जिला उद्यान अधिकारी महोदय,हरिद्वार।

शपथपत्र मिनजानिब:- महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी- गौरीवाला सिरसा §हरियाणा§।
================

मै शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि:-

§1§ यहकि मेरा उपरोक्त नाम एव पता सबसच व सही है।

Mahaveer

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

§2§

§2§ यहकि खाता खतौनी नम्बर- 67 के खसरा नम्बर- 330 रकबई- 0.512 है0 स्थित मौजा- बहादराबाद, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार की बावत शपथकर्ता को मुख्त्यारेआम नियुक्त किया हुआ है इसलिए शपथकर्ता को उक्त सम्पत्ति की बावत अधिकार प्राप्त चले आते है।

§3§ यहकि उपरोक्त सम्पत्ति मे 22 पेड आम के खडे हुए है जो कि बहुत ही पुराने है इसलिए फसल नही देते है जिस कारण से हम अपनी सम्पत्ति से पूर्णतया लाभान्वित नही हो पाते है इसलिए शपथकर्ता उक्त 22 पेड आम के कटवाकर उनके स्थान पर नई किस्म के अच्छे पेड लगाना चाहता है जिसके लिए अनुमति प्रदान की जानी आवश्यक है।

यहकि शपथपत्र का कुल कथन सत्य व सही है कोई तथ्य छिपाया नही गया है और ना ही झूठ बोला गया है ईश्वर सच बोलने मे मेरी मददकरे।

दिनांक- 09/10/2024

ह0 शपथकर्ता

Mahaveer

ह0 शपथकर्ता

Mahaveer

प्रमाणित

09/10/24

09/10/24

[redacted]

Download Date : 10/03/2021

Mahavir Parshad
Date of Birth/DOB: 01/05/1981
Male/ MALE

Issue Date: [illegible]

मेरा आधार, मेरी पहचान

[redacted]

Address:
C/O: Raja Ram, Goriwala, Sirsa,
Haryana - 125103

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

Mahaveer

IN-UK50047490975667W

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UK50047490975667W**
Certificate Issued Date	:	09-Oct-2024 10:20 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1304904/ ROSHNABAD/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK130490407110315496957W
Purchased by	:	NASEEM
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	NASEEM
Second Party	:	SHAKSHAM ADHIKARI
Stamp Duty Paid By	:	NASEEM
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

नोटरी निशा शर्मा ... उत्तराखण्ड सरकार

NOTARIAL NOTARIAL

अंकित कुमार, ... न. 252/18 स्टाम्प विक्रेता रोशनाबाद, हरिद्वार

09/10/24

Please write or type below this line

{शपथपत्र}

समक्षः-श्री मान मुख्य जिला उद्यान अधिकारी महोदय,हरिद्वार।

शपथपत्र मिनजानिब:- [illegible] नसीम पुत्र अजीज निवासी- महमूदपुर पिरान कलियर, जिला हरिद्वार।

मै शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि:-

{1} यहकि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सबसच व सही है।

नसीम

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

§2§

§2§ यहकि शमथकर्ता एक ठेकेदार है और पेडो को खरीदकर उन्हे काटने का कार्य करता है।

§3§ यहकिशमथकर्ता ने महावीर प्रसाद पुत्र राजाराम निवासी- गौरीवाल सिरसा हरियाणा से 22 आम के पेड खेत स्थित बहादराबाद, तहसील व जिला हरिद्वार मे खरीद कर लिये है यह पेड बहुत ही पुराने है इसलिए फसल नही देते है जिस कारण से शमथकर्ता उक्त पेडो को काटना चाहता है जिसके लिए अनुमति प्रदान की जानी आवश्यक है।

यहकि शमथपत्र का कुल कथन सत्य व सही है कोईतथ्य छिपाया नही गया है और ना ही झूठ बोला गया है ईश्वर सच बोलने मे मेरी मददकरे।

दिनांक- 09/10/2024

ह0 शमथकर्ता

नसीम

तसदीक कर्ता

प्रमाणित

निशा शर्मा
नोटरी एडवोकेट
उत्तराखण्ड सरकार, हरिद्वार

09/10/24

ह0 शमथकर्ता

नसीम

CYRUS ESTATE AND REALITY PRIVATE LIMITED
Regd. Office: Sahara India Point, CTS 40 & 44, S V Road, Goregaon West, Mumbai-400104
CIN: U45200MH1996PTC104168**E-MAIL:** cerpl.statutory@sahara.in

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HELD ON WEDNESDAY, 06TH JULY, 2022 AT SAHARA INDIA BHAWAN, 1, KAPOORTHALA COMPLEX, ALIGANJ, LUCKNOW-226024

AUTHORITY TO SHRI MAHAVIR PARSHAD AND/OR SHRI AJEET KUMAR SRIVASTAVA FOR SALE OF LAND SITUATED AT VILLAGE - BAHADARABAD, RANIPUR, PARGANA - JWALAPUR, TEHSIL & DISTRICT - HARIDWAR, UTTARAKHAND

"**RESOLVED THAT** Shri Mahavir Parshad S/o Shri Raja Ram, R/o H.No. 50, Ward No. 2-B Biswa, Gurgaon, Haryana-122001 and/or Shri Ajeet Kumar Srivastava S/o Late Sri Hira Lal Srivastava, R/o V-14, Vinayakpuram Near Vin Palace Sector 12 Vikash Nagar Lucknow-226022, be and are hereby authorized to sell the land situated at Village - Bahadarabad, Ranipur, Pargana - Jwalapur, Tehsil & District - Haridwar, Uttarakhand belonging to the company and deal, negotiate with various interested parties and to finalize and execute/sign M.O.U., Agreements and Sale Deed(s) for the purpose of sale of such land belonging to the company and to do such other acts as may be required on behalf of the Company for the said purpose.

RESOLVED FURTHER THAT aforesaid Shri Mahavir Parshad and/or Ajeet Kumar Srivastava be and are hereby authorized to execute/sign and verify such other necessary document(s) as may be required and to appear on the behalf of the Company before the Registrar / Sub-Registrar or any other Registering Authority, for Registration of Sale Deed(s) and to do all such other acts and deed which may be required from time to time pertaining to the legal proceedings on behalf the Company."

FOR CYRUS ESTATE AND REALITY PRIVATE LIMITED

Harindra

(HARINDRA PAL KUMAR)
Director
DIN: 00181103

Mahaveer

उद्धरण खसरा

नकल खसरा ग्राम बहादराबाद परगना ज्वालापुर तहसील हरिद्वार जिला हरिद्वार सन् १४३२ फ॰ सन फसली सम्बन्धी

खेत की संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर या बंदोबस्ती बीघों में	खतौनी की संख्या	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम (यदि कोई हो)	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल — खरीफ — फसल का नाम	खरीफ — सिंचित	खरीफ — असिंचित	रबी — फसल का नाम	रबी — सिंचित	रबी — असिंचित	जायद — फसल का नाम	जायद — सिंचित	जायद — असिंचित	दो फसली क्षेत्रफल — सिंचित	दो फसली क्षेत्रफल — असिंचित	अकृषिक भूमि — भूमि की श्रेणी	अकृषिक भूमि — क्षेत्रफल	खेत के पूरे बढ़े हुए पेड़ों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
३३०	०.५१२ ०.६२५ १.१३८	६८	चिरायु इस्टेट प्रा॰ लि॰ ...२८६	—															नीम 22	
३३१	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ख॰नं॰ 330
३२३/२६८	०.२६२	—	अभिषेक त्यागी																	
३२५/१	०.२५६	२६६	अभिषेक त्यागी																	
३२५/२	१.००७	306	अभिषेक त्यागी																आम सिम्बल ६० ८	
३२८/१-२	१.३६२	६८	अभिषेक त्यागी																	
३३५/१	०.६६८	६6	दीपिका त्यागी																आम सिम्बल 12 १	
३३५/२	०.२६८	६6	दीपिका त्यागी																आम १३	
३३३	१.652	०६६३ 66	दीपिका त्यागी वासुदेव सिंह नरेशचन्द उमेशचन्द रमेश चौहान सतेन्द्र चौहान राजेन्द्र सिंह शिवेन्द्र																	

नकल मुताबिक असल है

कार्यालय – मुख्य उद्यान अधिकारी हरिद्वार।

पातन अनुज्ञा संख्या 3749 /फ0वृ0पा0/2024–25 दिनांक 16/12/2024 हरिद्वार

पातन अनुज्ञा

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 के पत्र संख्या 927/X-3-12/दिनांक 03.12.2012 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम 45/1976 यथावृत्त की धारा–3 की उपधारा(III) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित को निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है।

1–अधोलिखित प्रार्थी श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला सिरसा हरियाणा मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार ने अधोहस्ताक्षरी से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.10.2024 के द्वारा अपनी निजी भूमि में स्थित बाग से फल वृक्षों के पातन की अनुज्ञा मांगी गई है।

2–अधोहस्ताक्षरी ने प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र. बहादरावाद से बाग/पातन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करा लिया है व स्वयं को संतुष्ट कर लिया है।

3–अधोलिखित पेड प्रार्थी की व्यक्तिगत भूमि में स्थित बाग में खडे हैं।

4–ये पेड पूर्णतः प्रतिबन्धित प्रजाति के हैं तथा हरे हैं। ये फलदार/मूल्यवान प्रकाष्ठ के हैं, जो पुराने/विभिन्न प्रकार के रोगों से रोगग्रस्त हैं जिनकी फलदाई क्षमता में भरपूर गिरावट आ चुकी है तथा बाग स्वामी के लिये अलाभकारी है।

5–अतः अधोलिखित प्रार्थी को इन वृक्षों के पातन की अनुज्ञा प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादराबाद हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर एतद्द्वारा दी जाती है तथा अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के लिये बैध होगी। एवं अनुज्ञा में उल्लेखित संख्या से अधिक पातन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं विधी संगत कार्यवाही अपनायी जायेगी। किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया जाता है या जानबूझकर छिपाया जाता है तो इस स्थिति में पातन अनुज्ञा निरस्त समझी जायेगी।

6–उस भूमि का विवरण जिस पर पातन हेतु अनुज्ञा दी जानी है(खसरा खतौनी की नवीनतम सत्यापित प्रतिलिपि/शपथ–पत्र व नक्शा) जो इस कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है का विवरण निम्न प्रकार है:–

जिला	तहसील	थाना	ग्राम	खाता/खतौनी/खसरा नम्बर
हरिद्वार	हरिद्वार	बहादराबाद	बहादराबाद	330

7– वृक्षों का खसरा नम्बरवार विवरण जिनके पातन की अनुज्ञा दी जाती है:–

बाग स्वामी का नाम व पता	खसरा संख्या	खसरे में कुल वृक्षों की संख्या तथा प्रजाति	वृक्षों का विवरण (गोलाई फिट में)								
			0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7 से ऊपर	योग
श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री राजाराम निवासी गौरीवाला सिरसा हरियाणा मौजा बहादराबाद, जिला हरिद्वार	330	**22 आम बीजू**	00 00	00 00	00 00	00 00	00 00	05 00	14 00	03 00	22 00
		योग–	00		00	00	00	05	14	03	22

8–प्रार्थी ने 250/प्रति पेड की दर से कुल 22 आम वृक्षो के सापेक्ष रू0 5500.00 जमानत इस उद्देश्य से अधोहस्ताक्षरी को निरूपित कर दी है कि प्रत्येक काटे गये वृक्षों के बदले दो वृक्ष सफलता पूर्वक लगायेगा। यह धनराशि रू0, 5500.00 डाकघर रोशनाबाद, हरिद्वार के खाता संख्या0 020138033056 से दिनांक 10.12.2024 को जमा हो गई है। यह जमानत एक वर्ष पश्चात पौधों की सफलता का निरीक्षण करने के बाद ही वापस की जा सकती है। फल वृक्षों का निरीक्षण सम्बन्धित प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादरावाद से कराने के उपरान्त विधिवत निकासी ली जाये।

9–यदि प्रार्थी द्वारा पेड पातन उपरान्त नये वृक्षों का रोपण न करके कालोनी का निर्माण किया जाता है तो आपकी जमानत धनराशि जब्त कर दी जायेगी। एवं विधी संगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

10–पातन अनुज्ञा में दी गयी वृक्षों की संख्या से अधिक पेड काटने पर कृषक एवं आवेदन पत्र में अनुबन्धित ठेकेदार के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में एफ0आई0आर0 की जायेगी।

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

पत्रांक /उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रार्थी अथवा उनके प्रतिनिधि को उनके आवेदन पत्र दिनांक 09.10.2024 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्धारित समय के अन्तर्गत पातन करना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के पश्चात अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

2– प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बहादरावाद को इस निर्देश के साथ कि चिन्हित वृक्षों के पातन के उपरान्त मौके का स्थलीय निरीक्षण कर इस बात की पुष्टि करेगें कि बाग स्वामी द्वारा मौके पर पातन हेतु चिन्हित वृक्षों से अधिक वृक्षों का पातन तो नही किया गया है तथा पातन उपरान्त जी0ई0औ0 टैग फोटो संलग्न करते हुये सम्बन्धित जॉच आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– सम्बन्धित थानाध्यक्ष ।

4– उपजिलाधिकारी हरिद्वार

5– प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।

6– वन क्षेत्राधिकारी बहादराबाद

मुख्य उद्यान अधिकारी
हरिद्वार

निजी फल वृक्षों के पातन हेतु निरीक्षण आख्या का प्रारूप

आवेदक का नाम– श्री महावीर प्रसाद
पिता का नाम– राजाराम
पता मो० न० सहित– गौरीवाला, सिरसा हरियाना, मौजा बहादराबाद
आवेदक के आवेदन पत्र के अनुसार बाग में कुल वृक्षों की संख्या 22
आवेदक द्वारा पातन हेतु आवेदित वृक्षों की संख्या 22
सम्बन्धित क्षेत्र के डाकघर/थाने का नाम– बहादराबाद
पातन हेतु आवेदक द्वारा नामित ठेकेदार का नाम व पता नसीम पु० अजीज, पिरानकलियर
निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम– पवन चौहान, निरीक्षक
कार्यालय का नाम व पता– उद्यान सचल दल केन्द्र – बहादराबाद

1–प्रार्थी कृषि योग्य उस भूमि का स्वामी है जिस पर खड़े वृक्षों के पातन हेतु आवेदन किया गया है। हाँ

2–प्रार्थी द्वारा संलग्न किये गये पहचान पत्र को मूल प्रति से मिलान किया गया हाँ

3–प्रश्नगत भूखण्ड खसरा संख्या 330 में आम के 22 वृक्ष खड़े है तथा आवेदित 22 वृक्षों के सापेक्ष आम के 22 वृक्ष पातन योग्य पाये गये है।

4–प्रश्नगत वृक्षों के पातन किये जाने का ठोस कारण बाग सूटीमोल्ड, डाईबैक जैसे रोगो से ग्रसित है। खड़े पेड़ो की लगभग 40% शाखायें व पत्ते सूख चुके है। बाग की उम्र भी 60 वर्ष लगभग हो चुकी है। कुछ पेड़ो पर दीमक का प्रकोप है। गुमोसिस प्रकोप भी देखने में आया है

5–पातन हेतु योग्य वृक्षों की उम्र 60 वर्ष से ऊपर

6–प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी वृक्ष पातन किये गये है यदि–हाँ तो उसका पूर्ण विवरण नहीं

7–पातन योग्य वृक्षों के मौके पर प्रार्थी के साथ निरीक्षणकर्ता का जियो टैग लाकेशन के साथ फोटो संलग्न हाँ/नहीं

8–पातन की अनुज्ञा यदि नियमानुसार जारी की जाती है तो पातन उपरान्त भी जियो टैग का फोटो प्रस्तुत कर दिया जायेगा हाँ/नहीं

9–आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की भली भाँति जाँच कर ली गई है। हाँ/नहीं

10– उद्यान का नक्सा नजरिया संलग्न हाँ/नहीं

11– पातन योग्य वृक्षों का विवरण

क्र०सं०	प्रजाति	पातन हेतु संस्तुत किये गये वृक्षों का विवरण									अभ्युक्ति
		0–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7 से अधिक	कुल योग	
01	आम बीजू	—	—	—	—	—	5	14	3	22	
02											
	योग	—	—	—	—	—	5	14	3	22	

12–निरीक्षण के समय बाग स्वामी/साक्षी का विवरण:– हस्ताक्षर

1–नाम– महावीर प्रसाद
2–पिता का नाम– राजाराम
3–पता– गौरीवाला, सिरसा, हरियाना, मौजा बहादराबाद
4–मो०न०–

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर
नाम–
पदनाम–
प्रभारी
उ०स०द०केन्द्र
बहादराबाद

पातन मद

कार्यालय–प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र

पत्रांक 101 /पातन/ पा०वा० दिनांक हरिद्वार 3-Dec 2024

प्रतिलिपि–मुख्य उद्यान अधिकारी महोदय की सेवा में निरीक्षण आदेश संख्या 3289 दिनांक 19/11/24 के क्रम में आवेदक के मूल दस्तावेज सहित निरीक्षण आख्या की मूल प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:–

बाग का निरीक्षण समिति द्वारा किया गया, उ.प्र. जाँच आख्या उपरोक्तानुसार प्रेषित,

A.H.O.   H.I.

ह०
नाम–
पदनाम–
कार्यालय की मुहर
प्रभारी
उ०स०द०केन्द्र
बहादराबाद

Scanned with CamScanner

नाम:- महावीर प्रसाद S/o रामाराम

पता: गोरीवाला-सिरसा, हरियाणा

मौजा :- बहादराबाद

कुल वृक्ष = 22

पात्र योग्य वृक्ष = 22

प्रभारी
उ०स०द०केन्द्र
बहादराबाद

TRUE COPY